



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ-226005
Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांक: 1668 / एनआरएम / डब्लूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021

दिनांक: 11.12.2025

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2025

समय : 12:00 बजे

स्थान : उपकार सभाकक्ष

उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2025-26 की अठारहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2025-26 की अठारहवीं बैठक डा. राजर्षि कुमार गौड़, उप महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक, धान्य फसलें, कृषि भवन, लखनऊ; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पूर्व मौसम वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के धान प्रजनक; पशुपालन विभाग; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, रेशम विभाग; कृषि रक्षा विभाग तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया।

उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के कीट, मौसम तथा कृषि वानिकी वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पूर्व गेहूं प्रजनक; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन वैज्ञानिक; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के दलहन वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; शुआट्स, प्रयागराज के मौसम वैज्ञानिक ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (12 से 18 दिसम्बर, 2025)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री. से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री. से.) अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री. से., बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह 26 से 28 डिग्री. से., जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 24 से 26 डिग्री. से. रहने की संभावना है। प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री. से.) अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री. से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 08 से 10 डिग्री. से. रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (19 से 25 दिसम्बर, 2025)

इस सप्ताह प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर-तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री से. पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 24 से 26 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से (02 से 03 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 06 से 08 डिग्री से., भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी एवं दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री से., जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 10 से 12 डिग्री से. रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनी: प्रदेश के उत्तरी तराई भाग में घने कोहरे के साथ अन्य भागों में सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये गये दिनांक 07 दिसम्बर, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रबी की बुवाई का लक्ष्य 138.78 लाख हे. के सापेक्ष कुल रबी फसलों की बुवाई 126.90 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 91.44 प्रतिशत है। गेहूँ के आच्छादन लक्ष्य 95.19 लाख हे. के सापेक्ष 84.69 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 88.97 प्रतिशत है। जौ के आच्छादन लक्ष्य 2.00 लाख हे. के सापेक्ष 1.90 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 95.02 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 0.36 लाख के सापेक्ष 0.34 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 95.96 प्रतिशत है। चना के लक्ष्य 6.90 लाख हे. के सापेक्ष 6.64 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 96.23 प्रतिशत है। मटर के लक्ष्य 4.00 लाख हे. के सापेक्ष 3.00 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 93.79 प्रतिशत है। मसूर के लक्ष्य 6.64 लाख हे. के सापेक्ष 6.44 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 97.04 प्रतिशत है। तिलहनी फसलों में तोरिया की बुवाई लक्ष्य 5.00 लाख हे. के सापेक्ष 4.95 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 99.05 प्रतिशत है जबकि राई-सरसों के 18.23 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 17.78 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 97.53 प्रतिशत है। अलसी के 0.46 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.39 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 85.13 प्रतिशत है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- वर्तमान में कृषक देर से बोई जाने वाली गेहूँ की किस्मों का चयन करें। दिसम्बर में गेहूँ की बुवाई करने पर गेहूँ की बीजदर सामान्य से 25 प्रतिशत (125 कि.ग्रा./हे.) बढ़ाकर बुवाई करें
- विलम्ब से गेहूँ की बुवाई के लिये जीरोटिल फर्टीज़िल का प्रयोग करें।
- चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों से खरपतवार निकार्ई-गुड़ाई द्वारा नियंत्रित करते रहें।
- आलू में पछेती झुलसा तापमान 10-20 सेन्टीग्रेट के मध्य तथा अपेक्षित आर्द्रता 80 प्रतिशत के लगभग एवं मौसम बदलीयुक्त होने पर इस रोग का प्रसार अधिक होता है। रोग की रोकथाम के लिये लक्षण दिखाई देने से पूर्व ही मैन्कोजैब 75 प्रतिशत डब्लू. पी. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू. पी. की 1.5 - 2.00 कि.ग्रा प्रति हे के घोल का छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर अवश्य करें।
- पशु समस्या निवारण केन्द्र का टोल फ्री नं. 18001805141 है जिसका उपयोग पशुपालक पशु चिकित्सा संबंधी किसी भी समस्या के निवारण हेतु कर सकते हैं।
- बदलते मौसम में फफूँद एवं पारासाईटिक संक्रमण से मछली को बचाने हेतु 40-50 किलोग्राम/एकड़ की दर से तालाब में नमक का छिड़काव करें एवं भोजन के साथ भी 5 से 6 ग्राम/किलोग्राम भोजन के हिसाब से माह में 7 से 10 दिनों तक मछलियों को खिलाएँ।
- तापमान अधिक गिरने (15 डिग्री सेल्सियस) एवं कोहरे की स्थिति में तालाब में किसी तरह का क्रिया-कलाप यानि भोजन, चूना, खाद, गोबर इत्यादि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।

गेहूँ की खेती

- गेहूँ की विलंब से बोई जाने वाली संस्तुत किस्मों यथा एच.आई.1633 (पूसा अहिल्या), डी.बी.डब्लू.-316 (करण प्रेमा), एच.डी.-3298, एच.डी.-3118 (पूसा वत्सला), पी.बी.डब्लू.-752, पी.बी.डब्लू.-757 एवं एच.डी.-3059 (पूसा पछेती), एच.डी.-327 (पूसा-3271), डी.बी.डब्लू.-173 (ताप सहिष्णु), ए.ए.आई.डब्लू.-9 (ताप सहिष्णु), डब्लू.एच.-1124 (ताप सहिष्णु), पी.बी.डब्लू.-833, एच.आई.-563, एच.आई.-1621 आदि के बीज की बुवाई 25 दिसम्बर तक पूर्ण करें।

- प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये संस्तुत किस्मों जैसे एच.आई.-784, मालवीय-234, एच.पी.-1633, डी.एल.-788-2, यू.पी.-2425, के.-7903, के.-9162, के.-9533, जी.डब्लू.-173, एच.यू.डब्लू.-510 की बुवाई करें।
- असिंचित क्षेत्रों में बोए गए गेहूँ की फसल गोभ अवस्था में है, अतः नत्रजन की संस्तुत मात्रा की एक चौथाई मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें।
- गेहूँ की बुवाई के 20-25 दिन बाद पहली हल्की सिंचाई (ताजमूल अवस्था में) अवश्य करें।
- ऊसर क्षेत्रों में गेहूँ की बुवाई के 28-30 दिन बाद पहली सिंचाई करें तथा शेष सिंचाइयां हल्की व जल्दी जल्दी करें।
- हल्की भूमियों में प्रथम सिंचाई के बाद ओट आने पर तथा भारी भूमियों में सिंचाई से पूर्व नत्रजन की शेष मात्रा की आधी मात्रा की टॉपड्रेसिंग करें।
- गेहूँ की बुवाई के 20-30 दिन के मध्य पहली सिंचाई के आस-पास पौधों में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण दिखाई देने पर 5 किग्रा. जिंक सल्फेट तथा 16 किग्रा. यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हे. की दर से छिड़कें। यूरिया के स्थान पर 2.5 किग्रा. बुझे हुए चूने के पानी (2.5 किग्रा. बुझे चूने को 10 लीटर पानी में सायंकाल भिगोकर दूसरे दिन पानी निधार कर पानी) का प्रयोग करें।
- गेहूँसा एवं जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिये खरपतवारनाशी सल्फोसल्फयूरॉन 75 प्रतिशत डब्लू.जी. की 33 ग्राम (2.5 यूनिट) को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर अथवा आइसोप्रोटयूरॉन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 1.25 किलोग्राम प्रति हे. 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करें।
- चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये 2-4डी, सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत की 625 ग्राम प्रति हे. अथवा 2-4डी मिथाइल एमाइन साल्ट 58 प्रतिशत एस.एल. की 1.25 लीटर प्रति हे. की मात्रा को लगभग 500 से 600 पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिये।
- सकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के एक साथ नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फयूरॉन 75 प्रतिशत +मेटासल्फयूरॉन मेथाइल 5 प्रतिशत डब्लू.जी. 40 ग्राम (2.5 यूनिट) 1250 मि.ली. सर्फेक्टेंट प्रति हे. अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 प्रतिशत डब्लू.पी. की 250 से 300 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हे. की दर से फ्लैटफैननॉजिल से प्रथम सिंचाई के बाद 25 से 30 दिन की अवस्था पर छिड़काव करें।

जौ की खेती

- फसल की पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद कल्ले फूटते समय व दूसरी दुग्धावस्था में करें।
- खरपतवारनाशी का उपयोग गेहूँ की भांति करें तथा खरपतवारों के नियंत्रण हेतु संस्तुत रसायनों का समय से प्रयोग करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों में विरलीकरण करके पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 से.मी. व लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 से.मी. करें। बची हुई नत्रजन की टॉपड्रेसिंग करें तथा नमी कम होने पर हल्की सिंचाई करें।
- लीफ माइनर (पत्ती सुरगंक कीट) के नियंत्रण हेतु डाईमथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. 650 मि.ली./हे. अथवा कार्बोफयूरॉन 3 प्रतिशत जी 66 कि.ग्रा./हे. की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करें।

दलहन की खेती

- चने की देर से बोई जाने वाली संस्तुत प्रजातियों यथा जीएनजी-2299, आईपीसी-2007-28 (अटल), आईपीसी-2005-62 तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र हेतु संस्तुत किस्म आईपीसी-670 तथा आईपीसी-2007-77 की बुवाई यथाशीघ्र सम्पन्न करें।
- चने में कटवर्म (कटुआ कीट) के नियंत्रण हेतु क्लोरपाईरीफॉस 20 प्रतिशत ई.सी. की 2.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हे. की दर से छिड़काव करना चाहिये।
- खेत में जगह जगह सूखी घास के छोटे छोटे ढेर को रख देने से दिन में कटुआ कीट की सूड़िया छिप जाती है, जिसे प्रातः काल एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिये।

रबी मक्का की खेती

- रबी मक्का की बुवाई के 20 से 25 एवं 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें।

- रबी मक्का की बुवाई के 25 से 30 दिन उपरांत प्रथम सिंचाई करें।

गन्ना की खेती

- गन्ने की पेड़ी की कटाई भूमि की सतह से करें तथा कटाई के 15 दिन उपरांत नत्रजन की संस्तुत मात्रा से टॉपड्रेसिंग करें।
- शरदकालीन बावग गन्ने की कटाई के उपरांत पेड़ी फसल में बेहतर फुटाव हेतु 100 कु. ताजी प्रेसमड गन्ने की लाइनों में डालकर गुड़ाई करें।
- शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती के रूप में बरसीम, सेंजी चारा फसलों की बुवाई करें, इससे गन्ने के फुटाव में सहायता होगी। गन्ने के साथ बोई गई अंतः फसल लहसुन में निराई गुड़ाई करते रहें तथा आलू की फसल में पछेती अंगमारी रोग से बचाव हेतु मैकोजेब 2 मि.ली./ली. पानी में डालकर छिड़काव करें।
- शरदकालीन गन्ने की बुवाई को यदि 45 दिन हो गये हैं तो नत्रजन की टॉपड्रेसिंग करें।
- शरदकालीन गन्ने के जमाव के पश्चात् आवश्यकतानुसार सिंचाई कर दें।

सब्जियों की खेती

- आलू की फसल में झुलसा बीमारी के रोकथाम हेतु मैन्कोजेब/प्रोपीनेब/कार्बेन्डाजिम युक्त फफूंदनाशी की 2.0–2.5 कि.ग्रा. मात्रा 1000 ली0 पानी में घोलकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। जिन खेतों में बीमारी का प्रकोप हो चुका है, उनमें किसी भी फफूंदनाशक—साईमोक्सेनिल 8 प्रतिशत + मैन्कोजेब 64 प्रतिशत डब्लूपी का 2–2.5 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर 15–15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- एकीकृत कीट प्रबन्धन के लिए रबी की समस्त सब्जी फसलों में नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5 मि.ली. प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसका छिड़काव 10–15 दिनों के अन्तराल पर करना चाहिए।
- गोभीवर्गीय फसलों में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप होने पर क्लोरेन्टरानिलिप्रोल 0.5–1 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर का छिड़काव करें।
- टमाटर तथा मिर्च की फसल को झुलसा रोग से बचाव हेतु 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम/ली.) की दर से मैन्कोजेब का छिड़काव करें। फसल को कीटों से बचाव हेतु ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 3–5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर या नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें।
- टमाटर की फसल में स्टेकिंग करें।
- आलू में यदि मिट्टी अभी तक नहीं चढ़ाई गई है तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य सम्पन्न करें तथा नत्रजन की टॉपड्रेसिंग करें।
- बैंगन की फसल में प्ररोह एवं फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए ब्यूवेरिया वेसियाना (फफूंद) 3–5 ग्राम या फ्लूबेन्डामाइड 0.5–0.75 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर का छिड़काव करें।
- लहसुन में 200 किग्रा0 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या 100 किग्रा यूरिया/हे0 की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। ध्यान रहे कि यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करें जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करने के बाद सिंचाई करें।
- सब्जियों के खेतों में विशेषतया टमाटर, मिर्च फसल में विषाणु रोग का प्रकोप अधिक हो रहा है। इसका फैलाव सफेद मक्खी/हापर कीट के द्वारा होता है। इसके फैलाव की राकेथाम हेतु डाईमिथोएट अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1 मिली को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

बागवानी

- आम के बागों की गहरी जुताई करें ताकि मिज कीट, फल मक्खी, गुजिया कीट एवं जाला कीट की वे अवस्थायें जो भूमि में दूसरे वर्ष आने तक पड़ी रहती हैं, नष्ट हो जाये।
- आम में मिलीबग (गुजिया) कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए पेड़ के तनों पर चारों ओर 400 गेज की मोटी सफेद पालीथीन की 25 सेन्टीमीटर की चौड़ी पट्टी लपेटकर भूमि से लगभग 40 सेन्टीमीटर ऊपर मिट्टी की पतली परत चढ़ा दें तथा नियंत्रण हेतु 2 प्रतिशत मिथाइल पैराथियान चूर्ण (200 ग्राम/पेड़) तने के चारों तरफ ओर बुरकाव करें।

- आम में यदि शाखाओं में डाइबैक रोग/गोंद निकलने की समस्या हो तो पौधों की जड़ों के पास 200–400 ग्रा. कॉपर सल्फेट प्रति वृक्ष की दर से प्रयोग करें तथा थायोफिनट मिथाइल 1 मिली रसायन प्रति लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करें।
- केले के पौधों को बांस एवं रस्सी की सहायता से सहारा दें जिससे पौधा गिरे न एवं केले के पौधे के चारों ओर 2–3 महीने में एक बार मिट्टी चढ़ायें
- अमरुद में छाल खाने वाली इल्ली की रोकथाम के लिए छेद के अन्दर उपस्थित कीट को मारने के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी के 0.4 से 0.5 प्रतिशत के घोल या बिवेरिया बेसियाना के 1×108 बीजाणु प्रति मिली लीटर के घोल का छिड़काव करें।
- गुलाब में बडिंग का कार्य, सिंचाई, निराई, सफाई करें एवं पत्तियों में ब्लैक लीफ स्पॉट रोग जिसमें पत्तियां झुलसी हुई प्रतीत हो कार्बेन्डाजिम 3.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 8–10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।
- ग्लैडियोलस में सिंचाई, निराई, गुड़ाई करें तथा मुरझाई हुई टहनियों को निकालते रहें एवं फूल खिलने के बाद डंठलों की कटाई-छटाई करें।

मशरूम की खेती

- मशरूम उत्पादन हेतु कृषक जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान, राजकीय मशरूम प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती एवं कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विश्वविद्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।
- मशरूम की खेती में कई प्रकार के कीट एवं बीमारियां आती हैं, इनमें से प्रमुख कवक एवं जीवाणु जनित बीमारियों के लक्षण बैग की सतह पर भूरे, हरे और पीले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके प्रबंधन के लिये 2 मि.ली. फॉर्मैलिन को 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर, रूई को घोल में भिगोकर प्रभावित स्थानों पर लगायें।
- मशरूम की खेती के कमरे में आर्द्रता 85 प्रतिशत एवं तापमान 18 से 20 डिग्री से. तक रखें।

पशुपालन

- पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्त रोगों के निराकरण हेतु पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि हरा चारा, भूसा, पशु आहार के अतिरिक्त खनिज लवण अवश्य खिलायें।
- पशुओं को ठंड से बचाव के लिये पशुबाड़ों को चारों ओर त्रिपाल से ढकें व अधिक ठंड होने की स्थिति में अलाव की व्यवस्था करें एवं पशुबाड़ों में बिछावन को अवश्य डालें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें उनको 60:40 के अनुपात में हरा एवं सूखा चारा मिलाकर ही खिलायें।
- पशुपालक मोरिंगा की पत्तियों को पशु चारे के साथ प्रयोग करें।
- किलनी/जू के संक्रमण से बचाव हेतु पशुबाड़ों में चूने का छिड़काव करें ताकि किलनी/जू के अंडे व लार्वा नष्ट हो जाय। इनके व्यस्क बाह्य परजीवी के संक्रमण से बचाव हेतु किलनीनाशक दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह पर करें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-1962 पर सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित दर से 85 प्रतिशत छूट पर किया जा सकता है, जिसका लाभ कृषक/पशुपालन अपने जनपदीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या निकटस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर उठा सकते हैं।

मत्स्य पालन

- औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पूरक आहार का प्रयोग बंद कर तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तालाब में पूरक आहार का प्रयोग 1 से 1.5 प्रतिशत मछली के कुल शरीर भार की दर से करें।

- तालाब में ठंड के मौसम में प्राकृतिक भोजन (प्लैंक्टॉन) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रति सप्ताह प्रति एकड़ की दर से 25 किलोग्राम सरसों की खली, 5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 2 किलोग्राम सूक्ष्म खनिज तत्व (मिनरल मिक्चर) पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- कार्प मछली वाले तालाब में ठंड के मौसम में 15 दिनों के अन्तराल पर जाल चलायें।
- तालाब के मिट्टी एवं पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 15 दिनों के अन्तराल पर पी. एच. मान के अनुसार 15-20 किलोग्राम/ एकड़ की दर से चूना का प्रयोग घोल कर करें।
- मछलियों को संक्रमण से बचाव के लिए प्रति एकड़ 500 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट या 500 एम.एल. की दर से वाटर सेनिटाईजर का प्रयोग करें।
- माह में एक बार 400 किलोग्राम गोबर/एकड़ की दर से घोल कर छिड़काव करें।
- कार्प मछली वाले तालाब में न्यूनतम पानी का स्तर 5 फीट बनायें रखें।
- पंगेशियस मछली वाले तालाब में न्यूनतम पानी का स्तर 8-10 फीट बनायें रखें।

रेशम पालन

- दिसम्बर माह में शहतूत वृक्षारोपण की प्रुनिंग एवं ट्रीमिंग का कार्य प्रारंभ कराते हुये शहतूत बागानों में से खरपतवार एवं घास आदि की सफाई समय से करा ली जाय तदोपरांत अन्य कर्षण-कार्य प्रारंभ कर दिया जाय।
- कृषक/कीटपालक ई-डिस्ट्रिक विभागीय यू.आर.एल. <http://sericulture.eservicesup.in> पर अपना पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाणु मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नंबर पर सम्पर्क करें 7388305554।

वानिकी

- वानिकी पौधशाला में अगले वर्ष के वृक्षारोपण हेतु वृक्ष प्रजातियाँ जैसे शीशम, सिरिस, खैर, गुलमोहर आदि के बीज दिसम्बर माह में एकत्र करें।
- उच्च उत्तरजीविता दर सुनिश्चित करने हेतु सागौन और शीशम के एक साल पुराने पौधों की जड़ौल (रूट-शूट कटिंग) व स्टंप को पौधशाला में तैयार करें। इस कार्य हेतु पौध की मोटाई अंगूठे के बराबर (2.5 से0मी0), तने की लंबाई 1.5 से 2.5 से0मी0 तथा मूसला जड़ की लंबाई 15 से 20 से0मी0 रखें। अन्य जड़ों को सावधानीपूर्वक काट दे। तदोपरान्त तैयार जड़ौल को पॉली बैग में रोपित करें।
- पूर्व रोपित पौधों और खेतों में कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाए गए पेड़ों की उचित देखभाल करते हुए आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई, सफाई और सिंचाई की व्यवस्था करें ताकि पेड़ों में अच्छी वृद्धि हो सके।

राज्य आपदा प्रबंधन

- राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत फसल क्षति पर रु. 8500 से 22500 प्रति हे. तक तथा खेतों में जमीन गाद हटाने के लिये 18 हजार प्रति हे. तथा पशु की क्षति पर रु. 4000 से 37500 तक तथा पशुबाड़ा की क्षति पर रु. 3000 तक की राहत वितरित की जाती है। अधिक जानकारी हेतु डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेन्ट एथोरिटी के कंट्रोल रूम 1077 अथवा राज्य आपदा कंट्रोल रूम 1070 पर सम्बंधित जानकारी हेतु सम्पर्क स्थापित करें।
- खुली व हवादार जगह पर ही अलाव जलायें तथा अलाव को बिना देख रेख के न छोड़े उसे जाते समय उसे पूरी तरीके से बुझा दें।
- अलाव के सूखी लकड़ियों का ही प्रयोग करें प्लास्टिक या कचरा न जलायें।

नोट:- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट upcar.up.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(राजर्षि कुमार गौड़)
उप महानिदेशक

प्रतिलिपि: उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेंगे।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा/ सै. हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।

36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।



(विनोद कुमार तिवारी)

प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच गुप) की वर्ष 2025-26 की अठारहवीं बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 की उपस्थिति

1. डा. राजर्षि कुमार गौड़, उपमहानिदेशक (आर.पी.एम.सी), उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
3. डा. ए.के. सिंह, सचिव, उपकार, लखनऊ।
4. डा. परमेन्द्र सिंह, उपमहानिदेशक (कृ.शि.त.ह.), उपकार, लखनऊ
5. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
6. श्री अरविंद कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक, धान्य फसलें, कृषि विभाग, उ.प्र.।
7. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ (ऑनलाइन)।
9. डा. एस.एन. पाण्डेय, पूर्व मौसम वैज्ञानिक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
10. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
11. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आबजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
12. डा. चंद्रकांत तिवारी, सहायक प्राध्यापक, वन जीव विज्ञान एवं वृक्ष सुधार विभाग, बांदा कृषि एवं प्रौ. वि. वि., बांदा (ऑनलाइन)।
13. डा. जे. जार्बेन, सह प्राध्यापक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (ऑनलाइन)।
14. श्री सुनील कुमार राय, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
16. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
17. श्री नीरेन्द्र कुमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
18. श्री अजय कुमार मिश्रा, तकनीकी अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
19. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच गुप, उपकार, लखनऊ।
20. श्री डी.पी. सिंह, प्रदर्शक रेशम उत्पादन, रेशम विभाग, लखनऊ।
21. श्री प्रतीक कुमार, तकनीकी अधिकारी, शुआट्स, प्रयागराज।
22. श्री राजेश कुमार, चारा विकास अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
23. डा. हिमांशु तिवारी, तकनीकी सचिव महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
24. श्री प्रेमचंद चौरसिया, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
25. श्री अभिजीत, वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि प्रसार), उपकार, लखनऊ।
26. श्री नरेन्द्र कुमार, एस.टी.ए.-ए, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ।
27. श्री हरिओम गुप्ता, एस.टी.ए.-ए, कृषि विभाग, लखनऊ।